न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या– 01/2020 प्रार्थना पत्र 251 ए.
जी.सी.एम.एस./2020/00127 दिनांकः– 23.10.23

अनवान

1. श्री मनोहर लाल पिता चतरभुज ब्राहमण नि. महुड़ा तह. बड़ीसादड़ी
2. श्री शान्तिलाल पिता भेरूलाल ब्राहमण नि. महुड़ा तह.बड़ीसादड़ी

प्रार्थीगण

।। बनाम ।।

1. श्री भुरालाल पिता उंकार ब्राहमण नि. महुड़ा तह.बड़ीसादडी
2. श्री शंकरलाल पिता उंकारलाल ब्राहमण नि. महुड़ा तह. बड़ीसादड़ी
3. श्री देवकिशन पिता नारायण ब्राहमण नि. महुड़ा तह. बड़ीसादड़ी
4. श्री भुमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ,

उपस्थित– श्री अनिल कुमार सोनावा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री दिनेश कुमार वैष्णव अधिवक्ता विपक्षीगण

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोडी गई नवीन धारा 251–ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा, महुडा की आराजी नम्बर 912 रकबा 0.41 है. स्थित होकर वर्णित आराजी प्रार्थीगण के नाम पर होकर खातेदारी की हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है आराजी पर आने जाने हेतु कदीमना रास्ता प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 912 के उत्तर दिशा में महुडा से बोहेडा आम रोड की तरफ होकर उक्त सडक के द[illegible] 01 व 02 की खातेदारी की आराजी नम्बर 913 रकबा 0.22 हैक्टर भूमि [illegible] नम्बर 03 की खातेदारी आराजी नम्बर 964 रकबा 0.15 हैक्टयर भूमि के [illegible] दोनो खेतो की पाली के मध्य स्थित भूमि से होता हुआ उक्त वर्णित विपक्षीगण की आराजी [illegible] में होकर प्रार्थीगण [illegible]राजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

आ जा रहा है। इस रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण अपने पिता, दादा के समय से कदिमी रास्ते से उपयोग करते कराते चले आ रहे है। हल,बैलगाडी,ट्रेक्टर एंव कृषि औजार/उपकरण इसी रास्ते से होकर ले जाते लाते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई दुसरा रास्ता नही हैं। आराजी नम्बर 913 व 964 के बीच की पाली के मध्य रास्ता हैं जो महुडा से बोहेडा मुख्य सडक के दक्षिण दिशा में विपक्षीगण की आराजी के मध्य की पाली इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं रास्ते की भूमि का बिना किसी बाधा के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करतें आ रहे है। लेकिन विपक्षीगण द्वारा हाल ही में उक्त रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं प्रार्थीगण को इनके खातेदारी की आराजी नम्बर 912 में आने जाने हेतु रोकते हें विपक्षीगण को कई बार रास्ते देने बाबत मौखिक कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजीयात पर आने जाने हेतु काफी तकलिफो का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी नम्बर 913 व 964 के मध्य सीमा से 12 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाकर विहित प्रावधानो के अन्तर्गत उक्त रास्ते को लाल स्याही से अंकित कराया जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सुचना पत्र से तलब किया गया। विपक्षी नम्बर 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशकुमार वैष्णव ने वकालतनामा के साथ जवाब पेश किया गया की आराजी नम्बर 912 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना स्वीकार है। जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 912 पर आराजी नम्बर 909 की पूर्वी उत्तरी पाली पर होकर आराजी नम्बर 911 की उत्तरी पाली पर होकर अपनी आराजी नम्बर 912 पर पहुंचता हैं प्रार्थीगण आराजी नम्बर 964 व 913 की बिच की पाली पर होकर कभी भी अपनी आराजी नम्बर 912 पर नही गया है। द्वेषतावश उक्त आराजी नम्बर 964 व 913 की बिच की पाली पर जाने के लिए रास्ते की मांग की है जबकी प्रार्थीगण तथा इनके पूर्वज कभी भी उक्त आराजीयात के बिच मे से होकर अपनी आराजी पर नही आते जाते थे इसलिए उक्त कलम में वर्णित तथ्य मन गढन्त होने से अस्वीकार है। आराजी नम्बर 913 व 964 की बिच की पाली पर कभी रास्ता नही रहा ना ही वर्तमान में मौजूद हैं आराजी नम्बर 913 उँकार लाल के नाम पर दर्ज हैं व आराजी नम्बर 964 [illegible] पिता चम्पालाल, उदयलाल, बालूलाल, शांतिलाल पिता जयराम का कब्जा है लेकिन बर[illegible] से शांतिलाल पिता जयराम के कब्जें में चली आ रही हैं आराजी नम्बर 965 के बजाय विपक्षी संख्या 03 देवकिशन को आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

नम्बर 905 दे रखी है जिस पर देवकिशन काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण आराजी नम्बर 909 व 911 के खातेदार से रास्ता मांगने का अधिकारी हैं विपक्षीगण की आराजी में से प्रार्थीगण रास्ते की मांग करने का अधिकारी नही है इसलिये जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण ने केवल मात्र विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो चलने योग्य नही होकर मय हर्जे व खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

न्याय निर्णय के बिन्दु तक पहुचने हेतु मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर लिये जाना उचित होने से तहसीलदार बडीसादड़ी को मौका कमीशनर नियुक्त जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

पैरोकार सरकार व कमीशनर तहसीलदार बडीसादड़ी द्वारा न्यायालय हाजा में मौका कमीशनरी रिपोर्ट जो कि भू0अ0नि0 बानसी व पटवारी हल्का महुडा द्वारा दिनांक 22.12.2022 को मुर्तिब की गई को उचित कार्यवाही हेतु अपने पत्र संख्या 624 दिनांक 22.12.2021 को अग्रेषित की गई।जिसमें वर्णित किया गया है कि ग्राम महुडा की आराजी नम्बर 912 व संवत् 2076 से 2079 में खातेदार मनोहरलाल पिता चतरभूज, शांतिलाल पिता भैरूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी महुडा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त आराजीयात में मौके पर आराजी नम्बर 913 व 964 दोनों आराजीयात के महम आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। आराजी नम्बर 913 रकबा 0.22 है. की पूर्वी मेड पर रास्ता चाहा गया है लम्बाई 90 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्गमीटर रास्ता एवं आराजी नम्बर 964 रकबा 0.15 हैक्टयर की पश्चिमी मेड पर रास्ता चाहा गया है जिसकी लम्बाई 90 गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्गमीटर होकर मौके पर आराजी नम्बर 912 पर आने जाने का और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रकरणग्रस्त आराजीयात पर आने जाने हेतु न्यूनतम दूरी आराजी नम्बर 913 व 964 के महम में से ही आने जाने का रास्ता दिया जाना उचित है नक्शा ट्रैस में प्रस्तावित रास्ता बनाकर नक्शा ट्रैस संलग्न किया है ग्राम महुड़ा की अधिकतम डी.एल.सी दर 145832 रूपये प्रति बिघा है

विपक्षीगण द्वारा प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाने से अधिवक्तागण उभय पक्षकरान की बहस सुनी गई। लायक अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कोई विकल्प नहीं है तथा विपक्षीगण की आराजीयात में से कदीम से आ जा रहें है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। जो न्युनतम दुरी का होने से अतः प्रार्थी की आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु कदीमी मार्ग को रास्ता के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें। खण्डन में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया गया की प्रार्थीगण द्वारा 912 की आराजी पर पहुचने की लिए आराजी नम्बर 913 व 964 के पूर्वी व पश्चिमी मेड़ से 12 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। जबकि प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग उपभोग कभी नही किया है। मनगढन्त तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण आराजी नम्बर 909 व 911 के खातेदार से रास्ते की मांग कर सकता है। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी मे से रास्ता मांगने का अधिकारी नही है। प्रकरणग्रस्त आराजी एक दुसरे खातेदारी के विपरित होने से व आपसी फौजदारी प्रकरणो के कारण परेशान करने की नियत से विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो खारीज करने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं कमीशनरी रिपोर्ट का अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 912 पर पहुंच मार्ग हेतु रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा इस आराजीयात पर पहुंचने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 913 व 964 में से होकर जाने का विकल्प के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जो कमीश्नरी रिपोर्ट अनुसार न्युनतम दुरी का होने से प्रार्थी आवागमन हेतु वास्तविक स्थाई रास्ता चाहते है।

प्रस्तुत कमीशनरी रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना पूर्णतया साबित है। राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9/20.14 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6/2012/4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात /खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है। खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 912 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 913 मे से 90 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर एवं आ.न. 964 मे से 90 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

पडती है जिसका तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। विहित प्रावधानो के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए निम्न शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है –

1. ग्राम महुडा पटवार हल्का महुडा की खसरा संख्या 912 हैक्टैयर भूमि पर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षीगण की आराजी नम्बर 913 मे से 90 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर एवं आ.न. 964 में से 90 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 180 वर्ग मीटर पडती है। भूमि का रास्ता निम्न प्रकार कमीशनरी रिपोर्ट एवं नक्शें अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिसे रास्ते हेतु अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित किया जावे ।
2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली 360 वर्गमीटर भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार दर 145832/–रूपये प्रति बीघा से मूल्याकंन तहसीलदार बड़ीसादड़ी द्वारा अपने स्तर पर आंकलन कर बनने वाली भूमि कीमत की दुगुनी राशि प्रार्थीगण से वसूल कर हितबद्व खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थी को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगें।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बड़ीसादड़ी को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने प्रेषित की जावे।निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बड़ीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.12.11 17:50:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी